बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय,पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2-पटना।

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)2017-1664 दिनांक- 17/2/18

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
सभी अपर जिला प्रबंधक(अधिप्राप्ति)
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों को उनके द्वारा जमा किये जानेवाले सी0एम0आर0 हेतु गन्नी बैग के प्रबन्धन के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः- भारत सरकार,उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्रांक-15(8)/2014Py-III (Pt) दिनांक-05.10.17 एवं 31.10.2017

महाशय,

उपरोक्त विषयक अवर सचिव,उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्रांक-15(8)/2014Py-III (Pt) दिनांक-05.10.2017 एवं सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-15-II/2018 नीति-3 दिनांक-02.02.2018 में सन्निहित दिशा निदेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत सी0एम0आर0 जमा करने के परिप्रेक्ष्य में गन्नी बैग का उपयोग एवं एतद्सम्बन्धी लेखा संधारण अग्रलिखित प्रावधानान्तर्गत होगी।

(क) **धान क्रय के समय गन्नी बैग की व्यवस्था एवं उसके भुगतान की प्रकियाः-**

- चूँकि सरकार के निदेशानुसार पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा किसान से धान क्रय करने का प्रावधान है और किसान द्वारा पुराने बोरे में धान की बिक्री की प्रकिया रही है इसलिए निगम द्वारा यह प्रमाणित करना कि किसानों से धान क्रय करने के पश्चात् जिन बोरों में खाद्यान्न का हस्तान्तरण किया जा रहा है, उनका उपयोग सिर्फ एक ही बार उपयोग किया गया है,युक्तिसंगत नहीं है, जबकि प्रासंगिक पत्र में विहित शर्त्त के अनुसार एतद्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिया जाना अपेक्षित है।
- 37.5 किलोग्राम धान या उससे अधिक मात्रा में धान भरने में बोरे का एक से अधिक बार उपयोग में लाया गया है तो 3.75 रू0 प्रति बोरा के दर से 1.73 बोरा देय होगा अर्थात् इसका प्रयोग शुल्क के रूप में **2.17 रू0 प्रति क्वींटल (BIS द्वारा निर्धारित मानक लम्बाई-94 सेंटीमीटर चौड़ाई-57 सेंटीमीटर) पैक्स/व्यापारमंडल को भुगतेय होगा,जिसका उल्लेख निगम मुख्यालय के पत्रांक-134 दिनांक-04.01.2018 से निर्गत मूल्य तालिका (Cost Sheet) में कर दिया गया है। इस प्रकार पैक्स/व्यापारमंडल को जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध मूल्य तालिका Cost sheet में उल्लेखित दर (बोरा सहित) अनुमान्य होगा।**
- धान अधिप्राप्ति/सी0एम0आर0 में प्रयुक्त बोरा का यथापेक्षित लेखा का संलग्न विहित प्रपत्र में समुचित संधारण पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा सुनिश्चित किया जायगा ताकि अंकेक्षण/जाँच के कम में सुगमतापूर्वक बोरा का विवरणी उपलब्ध हो सके तथा भारत सरकार को उसके माँग पर ससमय उपलब्ध कराया जा सके।
- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में गन्नी बैग के उपयोग के सम्बन्ध में भुगतान एवं उपयोग शुल्क (Usage charge) में व्यवस्थागत परिवर्त्तन किया गया है।

(ख) सी0एम0आर0 हेतु नये बोरे की व्यवस्थाः–

- निगम द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को निर्गत Acceptance order के अनुरूप दो नया बोरा (प्रति क्वीं0 सी0एम0आर0) उपलब्ध कराया जायगा।
- पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति धान के समतुल्य शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 निगम के अधीन संचालित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर जमा किया जायगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके पक्ष में बोरे का भंडार निर्गमादेश निर्गत किया जायगा और उनके द्वारा प्राधिकृत पैक्सों/व्यापारमंडलों को नया बोरा की आपूर्ति (दो बोरा प्रति क्वीं0 सी0एम0आर0 के दर से) की जायगी एवं एतद्सम्बन्धी लेखा का संधारण पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- जिला प्रबंधक स्तर पर निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के परिपेक्ष्य में डी0जी0एस0एण्ड डी0,कोलकाता एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त बोरे एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरुद्ध प्राधिकृत पैक्सों/व्यापारमंडलों को आपूरित बोरे से संबंधित लेखा–जोखा का विधिवत् संधारण किया जायगा। साथ ही प्राप्त भंडार निर्गमादेश की सेवित प्रति तथा ट्रान्सपोर्ट चालान को रक्षी संचिका में संधारित करना सुनिश्चित किया जायगा।
- पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा क्रय किए धान हेतु उपयोग में लाए गए पुराने बोरों के सम्बन्ध में भी सभी पैक्स एवं मिलर द्वारा गन्नी बैग (पुराना/नया) का लेखा का संधारण· /अधिप्राप्ति धान एवं सी0एम0आर0 Packaging के सामानान्तर एवं समरुप कराया जाय,ताकि लेखा के मिलान में कोई कठिनाई नहीं हो।
- धान अधिप्राप्ति एवं सी0एम0आर0 के उपयोग में लाए गए सभी प्रकार के बोरों का अन्तिम लेखा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ सभी पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराया जायगा। तदनुसार जिला प्रबंधक सी0एम0आर0 के भुगतान के साथ गन्नी बैग के Usage charge के भुगतान से मिलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा का सत्यापन कर लेगें।

सभी संबंधित द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–<u>यथावर्णित।</u>

विश्वासभाजन,
17/2·18
मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)

ज्ञापांकः–02:15:17(अधि0)2017–1664 दिनांक–17/2/18

प्रतिलिपिः–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य महाप्रबंधक/सत्तर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबधक/ सभी उप महाप्रंधक/गोपनीय शाखा,मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निबंधक,सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव,सहकारिता विभाग,बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक,भारतीय खाद्य निगम,बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, सार्वजनिक एवं वितरण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

17/2·18

<u>RCM-17-02-18</u> मुख्य महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।